न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
124 / 2024	29 / 08 / 2024	03.12.2025

1. गोपाल पुत्र जगदीश
2. अशोक पुत्र जगदीश
3. प्रेमचन्द पुत्र जगदीश
4. लोकेश पुत्र जगदीश
5. अनोख पुत्री जगदीश
6. इन्द्रा पुत्री जगदीश
7. मन्जू पुत्री जगदीश
8. मीना पुत्री जगदीश
9. सुशीला पुत्री जगदीश
10. नहना देवी पत्नि जगदीश
11. बदामी देवी पत्नि रूघनाथ जाति बैरवा निवासी ग्राम मीनों का बाढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सेडूराम पुत्र मूल्या
2. प्रभूनारायण पुत्र गोविन्दा राम
3. रूपनारायण पुत्र गोविन्दराम जाति बैरवा निवासी ग्राम मीणो का बाढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
4. नहनू पुत्र चन्दाराम जाति बैरवा निवासी प्लॉट नं0 104, 105 माली की कोठी बगराणा आगरा रोड जयपुर 303012
5. दीपचन्द पुत्र श्रवण
6. किशनलाल पुत्र श्रवण } समस्त जाति बैरवा निवासी प्लॉट नं0 327 चित्रकुट कॉलोनी भारत पेट्रोल पम्प के सामने माली की कोठी बगराणा आगरा रोड जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री किशनलाल :— वकील वादी।
श्री बी0एल0 शर्मा :— वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

वादीगण की ओर से एड0 श्री किशनलाल ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खाता सं0 78 के खसरा नम्बर 429 / 102 रकबा 0.9700है0 ग्राम मीनो का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

वादग्रस्त सम्पति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से, कब्जे को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादीगण का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 01.04.2025 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील उभय पक्षों ने कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम मीणो का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
अनोख पुत्री जगदीश हि0 22/485, अशोक पुत्र जगदीश हि0 22/485, इन्द्रा पुत्री जगदीश हि0 22/485, उमेश पुत्र श्रवण हि0 3/970, गोपाल पुत्र जगदीश हि0 22/485, नहनू पुत्र चन्दाराम हि0 87/970, नहना पत्नी जगदीश हि0 22/485, प्रभूनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 11/97, प्रेमचन्द पुत्र जगदीश हि0 22/485, बदामी देवी पत्नी रूघनाथ हि0 75/388 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा नायला, मन्जू पुत्री जगदीश हि0 22/485, मीना पुत्री जगदीश हि0 22/485, रूपनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 11/97, लोकेश पुत्र जगदीश हि0 22/485, सेडूराम पुत्र मूल्या हि0 13/388, सुशीला पुत्री जगदीश हि0 22/485 समस्त जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102	0.97	चाही 2	21.34
योग	किता 1	0.97	–	21.34

–: प्रस्तावित :–

सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	अनोख पुत्री जगदीश हि0 1/10, अशोक पुत्र जगदीश हि0 1/10, इन्द्रा पुत्री जगदीश हि0 1/10, गोपाल पुत्र जगदीश हि0 1/10, नहना पत्नी जगदीश हि0 1/10, प्रेमचन्द पुत्र जगदीश हि0 1/10, मजू पुत्री जगदीश हि0 1/10, मीना पुत्री जगदीश हि0 1/10, लोकेश पुत्र जगदीश हि0 1/10, सुशीला पुत्री जगदीश हि0 1/10, समस्त जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102/1	0.44	चाही 2	–

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

योग	किता 1	0.44	—	—
महनू पुत्र चन्दाराम हि0 870/900, उमेष पुत्र श्रवण हि0 30/900 जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102/2	0.09	चाही 2	—
योग	किता 1	0.09	—	—
रूपनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 1/2 जाति बैरवा सा0देह, प्रभूनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 1/2 जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102/3	0.22	चाही 2	—
योग	किता 1	0.22	—	—
बदामी देवी पत्नी रूघनाथ हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0देह राहिन स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नायला खातेदार।	429/102/4	0.1875	चाही 2	—
योग	किता 1	0.1875	—	—
सेडूराम पुत्र मूल्या हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102/5	0.0325	चाही 2	—
योग	किता 1	0.0325	—	—

परोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही दी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के स्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया या। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया या।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जि...

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इकताई

(रूल्स 18–21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

गोपाल वगै0 बनाम सेडूराम वगै0

वाद अन्तर्गत धारा–53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा रा0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर – 124/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री किशनलाल अधिवकता वादी व श्री बी0एल0 शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 ता 3 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम मीणो का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

ता ख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
78	अनोख पुत्री जगदीश हि0 22/485, अशोक पुत्र जगदीश हि0 22/485, इन्दा पुत्री जगदीश हि0 22/485, उमेश पुत्र श्रवण हि0 3/970, गोपाल पुत्र जगदीश हि0 22/485, नहनू पुत्र चन्दाराम हि0 87/970, नहना पत्नी जगदीश हि0 22/485, प्रभूनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 11/97, प्रेमचन्द पुत्र जगदीश हि0 22/485, बदामी देवी पत्नी रूघनाथ हि0 75/388 राहिन स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नायला, मन्जू पुत्री जगदीश हि0 22/485, मीना पुत्री जगदीश हि0 22/485, रूपनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 11/97, लोकेश पुत्र जगदीश हि0 22/485, सेडूराम पुत्र मूल्या हि0 13/388, सुशीला पुत्री जगदीश हि0 22/485 समस्त जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102	0.97	चाही 2	21.34
	योग	किता 1	0.97	–	21.34

–: प्रस्तावित :–

क0 सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
1	अनोख पुत्री जगदीश हि0 1/10, अशोक पुत्र जगदीश हि0 1/10, इन्दा पुत्री जगदीश हि0 1/10, गोपाल पुत्र जगदीश हि0 1/10, नहना पत्नी जगदीश हि0 1/10, प्रेमचन्द पुत्र जगदीश हि0 1/10, मजू पुत्री जगदीश हि0	429/102/1	0.44	चाही 2	–

Scanned with OKEN Scanner

1/10, मीना पुत्री जगदीश हि0 1/10, लोकेश पुत्र जगदीश हि0 1/10, सुशीला पुत्री जगदीश हि0 1/10, समस्त जाति बैरवा सा0देह खातेदार।				
योग	किता 1	0.44	–	–
नहनू पुत्र चन्दाराम हि0 870/900, उमेष पुत्र श्रवण हि0 30/900 जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102/2	0.09	चाही 2	–
योग	किता 1	0.09	–	–
रूपनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 1/2 जाति बैरवा सा0देह, प्रभूनारायण पुत्र गोविन्दराम हि0 1/2 जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102/3	0.22	चाही 2	–
योग	किता 1	0.22	–	–
बदामी देवी पत्नी रूघनाथ हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0देह राहिन स्टेट बैक ऑफ इंडिया शाखा नायला खातेदार।	429/102/4	0.1875	चाही 2	–
योग	किता 1	0.1875	–	–
सेडूराम पुत्र मूल्या हि0 पूर्ण जाति बैरवा सा0देह खातेदार।	429/102/5	0.0325	चाही 2	–
योग	किता 1	0.0325	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/12/2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			थ्मलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इबलाई (रूल्स 18–21)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर राज0

बइजलास श्री ललित मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नं0:– 124 / 2024 दायर दिनांक 29.08.2024

गोपाल वगै0 बनाम सेडूराम वगै0

(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 01.04.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए. एस. व हाजिर श्री किशनलाल वकील वादीगण व श्री बी0एल0 शर्मा वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 3 निजातिब मुदालय रूबरू बहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम मीणो का बाढ, पटवार हल्का नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 429 / 102 रकबा 0.9700है0 के संबंध में उभय पक्षों के राजस्व रिकार्ड में अंकित हक व हिस्से एवं रास्ते तथा कब्जे को मध्य नजर रखते हुए मुताबिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस अर्थात सरस–नरस के आधार पर विधिक रूप से तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मौजूदगी में अलग–अलग रंग भरकर कुर्रेजात के प्रस्ताव तीन–तीन प्रतियों में तैयार कर पेश करें। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

डिक्री आज दिनांक 01 / 04 / 2025 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner